विविध बैंक प्रकरण सं0 32/2019 (RCMS 2019/00013) कॉर्पोरेशन बैंक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स निशु फैबरीक–प्रो. श्री निशान्त डोडा निवासी 36ए पब्लिक पार्क, दुकान नं. 14, श्रीगंगानगर एवं 21/142, हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ जंक्शन, हनुमानगढ, राजस्थान – 3355122 2. श्री विशान्त कुमार डोडा पुत्र श्री रमेश कुमार डोडा निवासी 158–सी सेठिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर

08.07.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता आज उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 03.07.2019 को प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के कार्यकर्त्ता श्री भागचंद शर्मा का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स निशु फैबरीक –प्रो. श्री निशान्त डोडा एवं श्री विशान्त कुमार (गारंटर) को ऋण सुविधा के रूप में 17.75 लाख रूपये (अखरे रूपये सत्रह लाख पिच्चहत्तर हजार मात्र) का ऋण दिनांक 09.12.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी श्री विशान्त कुमार डोडा की बंधक सम्पत्ति दुकान नं. 14, प्लॉट नं. 36, नियर महावीर शॉपिंग सैंटर, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 162 वर्गफुट) में स्थित है,** को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2018 को **अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.09.2018 को 19,37,016/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है** जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 01.10.2018 को उक्त

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स निशु फैबरीक – प्रो. श्री निशान्त डोडा एवं श्री विशान्त कुमार (गारंटर) द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्री विशान्त कुमार डोडा की उक्त अचल सम्पति दुकान नं. 14, प्लॉट नं. 36, नियर महावीर शॉपिंग सैंटर, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 162 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स निशु फैबरीक –प्रो. श्री निशान्त डोडा एवं विशान्त कुमार डोडा 17.75/–लाख रूपये (अखरे रूपये सत्रह लाख पिच्चहत्तर मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 09.12.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी विशान्त कुमार डोडा द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 14, प्लॉट नं. 36, नियर महावीर शॉपिंग सैंटर, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 162 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी एवं बंधककर्त्ता/जमानतदार जो उक्त सम्पत्ति के स्वामी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 01.10.2018 को डाक द्वारा भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी को नोटिस 13(2) प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस के ट्रैक कंसाईमैंट(Track Consignment) की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैसर्स निशु फैबरीक--प्रो. श्री निशांत डोडा एवं श्री विशान्त कुमार को उक्त धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.10.2018 को तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति दुकान नं. 14, प्लॉट नं. 36, नियर महावीर शॉपिंग सैंटर, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 162 वर्गफुट) जो ऋणी प्रो. श्री विशान्त कुमार डोडा के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.10.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 01.10.2018 को 60 दिवस

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स निशु फैबरीक–प्रो. श्री निशान्त डोडा एवं श्री विशान्त कुमार डोडा के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप धारा 13(2) का मूल नोटिस एवं पोस्ट ऑफिस के ट्रैक कंसाईमैंट (Track Consignment) रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्राथी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रो. श्री विशान्त कुमार डोडा द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल सम्पत्ति दुकान नं. 14, प्लॉट नं. 36, नियर महावीर शॉपिंग सैंटर, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 162 वर्गफुट) जो कि ऋणी श्री विशान्त कुमार डोडा (गारंटर) के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर